प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः– सीपीएस जयपुर वर्ष 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 228/23 दिनांक 23/8/2023

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7........................
(2) अधिनियम – ...भा.द.सं. ....धाराये :–....120बी ....
(3) अधिनियम ....धाराये :–..................................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 458 ....समय 8:00 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 22.08.2023............ बुधवार ....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.08.2023 समय–04.40 पी.एम.......

4. सूचना की किस्म :– कम्प्यूट्राईज टाईपसुदा

5. घटनास्थलः– उपनिवेशन तहसील कार्यालय नाचना संख्या 01 में स्थित उपायुक्त उपनिवेशन का कार्यालय नाचना
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी जैसलमेर से दक्षिण पश्चिम दिशा करीबन 135 किलोमीटर
(ब) पता :– नाचना जिला जैसलमेर
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी / सूचनाकर्ता
(अ) नाम :– श्री शाह मोहम्मद
(ब) पिता / पति का नाम :– श्री भारे खां
(स) जन्म तिथि / वर्ष :– 50 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :–.. जारी होने की तिथी.....................
(र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी
(ल) पता :– निवासी पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राज0

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
(1) श्री देवीलाल पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 42 साल निवासी तिलक नगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर।

(2) श्री चेलुराम पुत्र श्री पदमाराम उम्र 42 साल पेशा खेती निवासी मेघवालो का मोहल्ला नाचना पुलिस थाना नाचना जिला जैसलमेर (सह आरोपी)।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 4,000 रू.

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामे

श्रीमान एडिशनल एस0 पी0 साहब
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर।

विषयः– रिश्वत लेते हुवें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने बाबत्।

महोदय जी,

मैं शाह मोहम्मद पुत्र श्री भारे खां जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राज0 का रहने वाला हुॅं मेरे पुत्रो एवं पुत्री के नाम उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा मुरब्बा नम्बर 101/35 रबिना खातु 04 बीघा, पुत्र मुजिबुर्रहमान के नाम मुरब्बा नम्बर 101/27 में 11 बीघा व 101/20 में 5 बीघा व पुत्र मोहम्मद उमर के नाम मुरब्बा नम्बर 101/28 में 10 बीघा स्माल पेंच, मीडियम पेंच में भूमि आवंटित थी, जिसका म्युटेशन भी दर्ज हो गया था उक्त मुरब्बो के पास मेरे पुत्रों एव पुत्री के नाम की 80 बीघा जमीन थी जिसका हमने बैचान कर दिया था। उक्त जमीन के खरीददार हमारी स्माल पेंच, मीडियम पेंच की आवंटित भूमि अपने नाम से आवंटन करवाना चाहते है जिस बाबत उन्होने उपनिवेशन कार्यालय नाचना में हमारी आवंटितशुदा स्माल पेंच, मीडियम पेंच भुमि को खारिज करवाने बाबत दावा दाखिल किया है उक त दावें की नकल प्रति चाहने बाबत मैने आवेदन किया तो उपनिवेशन कार्यालय नाचना का बाबु श्री देवीलाल मेरे से स्माल पेंच, मीडियम पेंच भूमि का आवंटन खारिज नही करने तथा दावा नकल प्रति देने की एवज में 25000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देकर श्री देवीलाल बाबु को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूॅं, मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पेश करता हुं कार्यवाही की जावे।

प्रार्थी

–सही–

श्री शाह मोहम्मद पुत्र श्री भारे खां
जाति मुसलमान निवासी पांचे का तला
तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राज0

मो0 8890858813

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 12.08.2023 को परिवादी श्री शाह मोहम्मद पुत्र श्री भारे खां उम्र 50 साल निवासी पांचे का तला तहसील पोकरण जिला जैसलमेर राज0 ने यह टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मुझ संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कैम्प मोहनगढ के दौरान उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। पूछताछ पर परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि मेरे पुत्रो एवं पुत्री के नाम उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा मुरब्बा नम्बर 101/35 रबिना खातु 04 बीघा, पुत्र मुजिबुर्रहमान के नाम मुरब्बा नम्बर 101/27 में 11 बीघा व 101/20 में 5 बीघा व पुत्र मोहम्मद उमर के नाम मुरब्बा नम्बर 101/28 में 10 बीघा स्माल पेंच, मीडियम पेंच में भूमि आवंटित थी, जिसका म्युटेशन भी दर्ज हो गया था उक्त मुरब्बो के पास मेरे पुत्रों एव पुत्री के नाम की 80 बीघा जमीन थी जिसका हमने बैचान कर दिया था। उक्त जमीन के खरीददार हमारी स्माल पेंच, मीडियम पेंच की आवंटित भूमि अपने नाम से आवंटन करवाना चाहते है जिस बाबत उन्होने उपनिवेशन कार्यालय नाचना में हमारी आवंटितशुदा स्माल पेंच, मीडियम पेंच भुमि को खारिज करवाने बाबत दावा दाखिल किया है उक्त दावें की नकल प्रति चाहने बाबत मैने आवेदन किया तो उपनिवेशन कार्यालय नाचना का बाबु श्री देवीलाल मेरे से स्माल पेंच, मीडियम पेंच भूमि का आवंटन खारिज नही करने तथा दावा नकल प्रति देने की एवज में 25000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देकर श्री देवीलाल बाबु को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही कोई पुराना लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पेश करता हुं कार्यवाही की जावे। पूछताछ पर परिवादी ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं बाजार से टाईप करवा कर लाना व इस पर स्वयं के हस्ताक्षर करना बताया। परिवादी ने श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक से कोई उधार लेन देन बाकी नही होना एवं किसी प्रकार की कोई रंजिश नही होना बताया। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संसोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है परन्तु परिवादी ने यह भी बताया कि मैने आज ही श्री देवीलाल बाबूजी के नाचना कार्यालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में जानकारी ली तो श्री देवीलाल वर्तमान में नाचना में उपस्थित नही है। इस पर परिवादी श्री शाह मोहम्मद को निर्देशित किया कि श्री देवीलाल के नाचना उपस्थित होने पर मन् उप अधीक्षक को सूचित करे इत्यादि समझाईश के बाद परिवादी को रूकसत किया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वयं की अभिरक्षा में रखा।

दिनांक 16.08.2023 को मुझ उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री शाह मोहम्मद ने जरिये टेलीफोनिक हालात अर्ज करते हुए बताया कि श्री देवीलाल बाबूजी आज अपने कार्यालय में उपस्थित है। परिवादी द्वारा दिनांक 12.08.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से श्री देवीलाल द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लेकर परिवादी श्री शाह मोहम्मद को कल दिनांक 17.08.2023 को नाचना उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया तथा यह भी बताया कि एसीबी कार्यालय जैसलमेर का कानिस्टेबल आपसे कल दिनांक 17.08.2023 को टेलीफोन पर सम्पर्क कर लेगा ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय हाजा के कानि श्री भंवरलाल 309 को तलब कर परिवादी श्री शाह मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 8890858813 से अवगत करवाते हुए कल दिनांक 17.08.2023 को नाचना पहुँच परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन कर लाने हेतु अपनी अभिरक्षा में रखे कार्यालय हाजा का डिजीटल रिकॉर्डर को निकाल कर श्री भंवरलाल कानि 309 सुपुर्द किया गया। कानि श्री भंवरलाल को यह भी निर्देश दिया गया कि परिवादी श्री शाह मोहम्मद को डिजीटल रिकॉर्डर ऑपरेट करने एवं रिकार्डिंग करने की

प्रक्रिया समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु पाबंद किया जावे एवं हालात मुझ उप अधीक्षक पुलिस को अर्ज किये जावे।

दिनांक 17.08.2023 को श्री भंवरलाल कानि 309 ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सएप्प काल कर अवगत करवाया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार इमरोजा जैसलमेर से रवाना होकर नाचना पहुँचा, परिवादी श्री शाह मोहम्मद के मोबाईल नम्बर 8890858813 पर मेरे मोबाईल नम्बर से सम्पर्क कर नाचना में मिला, परिवादी श्री शाह मोहम्मद को डिजीटल रिकॉर्डर ऑपरेट करने एवं रिकार्डिग करने की प्रक्रिया समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु विभागीय डिजीटल रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना में आरोपी श्री देवीलाल के पास भेजा था। परिवादी ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजीटल रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी श्री देवीलाल बाबू से मेरे पुत्रो एवं पुत्री के नाम उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा आवंटित स्माल पेंच, मीडियम पेंच भूमि को खारिज नही करने तथा दावा नोटिस की नकल प्रति देने की वार्ता हो गई है और उसने मेरे से 25000 रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 8000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ तथा दौराने सत्यापन 4000 रूपये मुझे से आज ले लिये है शेष 4000 रूपये देने पर कार्य करने पर सहमत हुआ है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात कानि0 भंवरलाल ने अपने मोबाईल से ही परिवादी श्री शाह मोहम्मद से वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी उपरोक्त कथन की ताईद की। जिस पर कानि0 श्री भंवरलाल को आदेशित किया गया कि आप डिजीटल रिकॉर्डर को बिना सुने ही सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे तथा परिवादी को हिदायत की कि रिश्वत में दी जाने राशि 4,000 रू. की व्यवस्था कर श्री देवीलाल की उपस्थिति से भी मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने हेतु पाबंद कियां।

दिनांक 18.08.2023 को मन् उप अधीक्षक पुलिस राज कार्य कर जोधपुर से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने पर श्री भंवरलाल कानि0 309 ने उपस्थित होकर डिजीटल रिकॉर्डर स्विच ऑफ हालात में पेश करते हुए निवेदन किया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार दिनांक 17.08.2023 को जैसलमेर से रवाना होकर नाचना पहुँच परिवादी के मोबाईल नम्बर 8890858813 पर सम्पर्क कर नाचना में मिला, परिवादी श्री शाह मोहम्मद को डिजीटल रिकॉर्डर ऑपरेट करने एवं रिकार्डिग करने की प्रक्रिया समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु विभागीय डिजीटल रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना में आरोपी श्री देवीलाल के पास भेजा। परिवादी ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजीटल रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मेरी श्री देवीलाल बाबू से मेरे पुत्रो एवं पुत्री के नाम उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा आवंटित स्माल पेंच, मीडियम पेंच भूमि को खारिज नही करने तथा दावा नोटिस की नकल प्रति देने की वार्ता हो गई है और उसने मेरे से 25000 रूपये रिश्वत की मांग करते हुए 8000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ तथा दौराने सत्यापन 4000 रूपये मुझे से आज ले लिये है शेष 4000 रूपये देने पर कार्य करने पर सहमत हुआ है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल रिकॉर्डर स्विच ऑन कर सुना तो परिवादी श्री शाह मोहम्मद एवं कानि श्री भंवरलाल के उपरोक्त कथनों की पुष्टि हुई तत्पश्चात डिजीटल रिकॉर्डर स्विच पुनः स्वीच ऑफ अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखते हुए रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा स्वतन्त्र गवाह तलब कर मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 21.08.2023 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री शाह मोहम्मद ने जरिये फोन कर सुचित किया कि मैने श्री देवीलाल बाबू को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ली है मगर देवीलाल के कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना मै उपस्थिति के बारे में मालुमात किया तो वह नाचना में उपस्थित नही होकर बीकानेर गया हुआ है जो कल दिनांक 22.08.2023 को नाचना आने की पुर्ण सम्भावना है इत्यादि पर

मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेंप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया। ताबाद पुर्व में दिनांक 18.08.2023 से अन्य राजकार्य मे पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री अरूण कुमार भाटिया पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटिया उम्र 47 साल निवासी दलाला पाड़ा पटवा हवेली के पास पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर हाल व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर एवं श्री अशोक कुमार ईणखियां पुत्र श्री धुड़ाराम ईणखिया जाति मेघवाल उम्र 46 साल निवासी प्लाट नम्बर 931 इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर हाल व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर कार्यालय हाजा पर उपस्थित है जिन्हे प्रस्तावित अग्रिम ट्रेप कार्यवाही से अवगत करा दिनांक 22.08.2023 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया जो उपस्थित आये, पाबन्दशुदा ब्यूरो स्टाफ भी कार्यालय में उपस्थित है। मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर 9216859058 पर परिवादी श्री शाह मोहम्मद ने अपने मोबाईल नम्बर 8890858813 से फोन कर बताया कि श्री देवीलाल बाबू अपने कार्यालय में उपस्थित है तथा व मेरे से रिश्वती राशि की लेन देन आज कर सकता है। जिस पर परिवादी श्री शाह मोहम्मद को हिदायत की गई कि आप श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000 रूपये सहित मुझ उप अधीक्षक पुलिस को 1296 आरडी नाचना पर उपस्थित मिले ताबाद अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित होने के कारण कानि0 चालक श्री शेराराम नं0 302 को टैक्सी स्टेण्ड से एक प्राईवेट वाहन साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। तत्पश्चात मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता सर्वश्री दीनाराम मुख्य आरक्षक 125 , कानिगण भंवरलाल 309 , संग्रामसिंह 536 ,कंवराजसिंह 444, गुमनाराम 439 , शिवप्रताप 541, किसनाराम 238, शेराराम चालक नंबर 302 ,एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री अरूण भाटिया एवं अशोक कुमार ईणखिया जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के प्रकरण की पत्रावली, फिनोफथलीन पाउडर की शिशी, सोडियम कार्बोनेट की शीशी, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के मौजा 1296 आरडी नाचना की तरफ रवाना होकर मौजा 1296 आरडी नाचना पहुँचे। जहां पूर्व पाबन्दसुदा परिवादी श्री शाह मोहम्मद अपने निजी वाहन के साथ उपस्थित मिला। जहॉ पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समस्त ट्रेप दल एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री अरूण भाटिया एवं अशोक कुमार ईणखिया का परिवादी एवं परस्पर एक दुसरे से परिचय करवाया गया। ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा पुर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर तथा पूर्व में डिजीटल रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये तो परिवादी शाह मोहम्मद के कथनो की पुष्टि हुई। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी मौखिक सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात आरोपी श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को रिश्वती में दी जाने तयशुदा रिश्वती राशि 4,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को कहने पर परिवादी श्री शाह मोहम्मद ने 500–500 रूपये के 08 नोट कुल राशि 4,000 रू. अपनी जेब से निकाल कर मुझ उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के मालखाना प्रभारी हैड कानि श्री दीनाराम नं0 125 द्वारा मालखाना से साथ लाई गई फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया गया। तत्पश्चात एक अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटो को उस पर रखकर नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर कार्यालय हाजा के कानि श्री गुमनाराम कानि 439 से लगवाया गया। परिवादी श्री शाह मोहम्मद की जामा तलाशी गवाह श्री अरूण कुमार भाटिया से लिवाई जाकर उनके बदन पर पहने हुए कपडों एवं उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी को अपना मोबाईल अपने पास ही रखने की ईजाजत दी गई। इसके पश्चात श्री गुमनाराम कानि द्वारा सीधे ही फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 4,000/– रू. के उक्त नोट परिवादी के पहने हुए कुर्ते के नीचे की दाहिनी जेब में रखवाई गई मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इस नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही यह रिश्वती राशि जेब से निकाल कर आरोपी को देवें, रिश्वती राशि देने के पश्चात उक्त रिश्वती

राशि को आरोपी द्वारा रखने के स्थान का ध्यान रखें, तथा रिश्वत की राशि देने के पश्चात अवसर पाकर अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल अथवा ब्यूरो स्टाफ के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके या अपने सिर पर पहनी हुई टॉपी को उतार कर सिर में हाथ फैर कर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने का इशारा करें। परिवादी को हिदायत की गई कि वह रिश्वती राशि देने के पूर्व व पश्चात् आरोपी से अपना हाथ भी नहीं मिलावें। अखबार जिन पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उस अखबार को भी श्री गुमनाराम कानि द्वारा ही जलाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट का दृष्टान्त देने के लिये सरकारी वाहन में रखी पानी की एक बोतल मंगवाई जाकर साफ कांच के एक गिलास में पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन/अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री गुमनाराम कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबा कर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस बाबत परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को छुएगा, तो उसके हाथों को पानी व सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी तरह गुलाबी हो जायेगा। इस दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये कांच के गिलास के गुलाबी घोल को वहीं मिट्टी की जमीन पर डलवाया जाकर नष्ट करवाया गया । श्री गुमनाराम कानि. के हाथ, चम्मच व कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, ट्रेप उपयोग की सामग्री कीप, पव्वे, चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोडकर ट्रेप दल के समस्त सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर ब्यूरो स्टाफ के पास परिचय पत्र, मोबाईल फोन के अलावा कोई भी राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। ट्रेप दल के सदस्यों को आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने के पश्चात सूचना देने हेतु परिवादी द्वारा किया जाने वाला पुर्व मुर्करर इशारा बताया जाकर हिदायत दी गई कि वे सभी परिवादी के इशारे का ध्यान रखे, यथा सम्भव रिश्वती राशि के लेनदेन को भी देखने अथवा वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। ट्रेप दल के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि लेनदेन के समय परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी को डिजीटल रिकॉर्डर देकर हिदायत दी कि वह रिश्वती लेनदेन के वक्त की वार्ता को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री गुमनाराम कानि को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित ही आगामी निर्देशो तक मौजा 1296 आरडी नाचना में ही रहने की हिदायत दी गई उक्त कार्यवाही की फर्द मौके पर ही मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षकर करवाये गये। ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री शाह मोहम्मद समस्त ट्रेप दल के साथ लाये वाहनो से कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना की तरफ रवाना होकर मन् उप अधीक्षक के निर्देशानुसार कानि श्री भंवरलाल 309 ने कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के पास पहुंच परिवादी श्री शाह मोहम्मद को डिजीटल रिकॉर्डर को चालु कर कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना में आरोपी श्री देवीलाल को रिश्वती राशि देने हेतु रवाना किया गया जाकर समस्त ट्रेप दल अपनी अलग अलग पोजीशन लेकर परिवादी श्री शाह मोहम्मद के मुकरर्र ईशारे के इंतजार में खडे रहे। कुछ समय पश्चात मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री शाह मोहम्मद ने उपनिवेशन तहसील कार्यालय नाचना संख्या 01 में स्थित उपायुक्त उपनिवेशन के कार्यालय से बाहर आकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पुर्व मुर्करर इशारा अपने सिर पर पहनी हुई टॉपी को उतार कर सिर में हाथ फैर कर आरोपी श्री देवीलाल द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने का अपने सिर पर हाथ फेर कर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यो सहित तुरन्त उपनिवेशन तहसील कार्यालय नाचना संख्या 01 में स्थित उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के कक्ष में पहुंचा। जहाँ प्रवेश करने पर एक व्यक्ति सामने कुर्सी के पास खडा मिला तथा उसके पास ही एक अन्य व्यक्ति भी खडा मिला, परिवादी श्री शाह मोहम्मद को पूर्व में दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने

कब्जे में लिया, जिसको बाद मे सुन सुन कर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शाह मोहम्मद से इन दोनो व्यक्तियों के बारे में पूछने पर परिवादी ने सामने कुर्सी के पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री देवीलाल बाबूजी है, जिन्होंने अभी–अभी मेरे से पूर्व में तय 4000 रूपये रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के दाहिने जेब में रखे थे, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति को अपना, मौतबिरान एवं ट्रेप दल का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम देवीलाल पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 42 साल निवासी तिलक नगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर होना बताया तत्पश्चात श्री देवीलाल को परिवादी श्री शाह मोहम्मद से रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मैने श्री ,शाह मोहम्मद से कोई रिश्वती राशि प्राप्त नही की है, जिस मौके पर ही उपस्थित परिवादी ने पुनः बताया कि अभी अभी मेरे श्री देवीलाल बाबूजी ने 4000 रूपये रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट के दाहिने जेब में रखे थे। जिस पर आरोपी श्री देवीलाल के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उपायुक्त उपनिवेशन के कार्यालय से बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया, इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। तत्पश्चात श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक को रिश्वती राशि को पेश करने हेतु कहने पर उसने बताया कि मेरे पास कोई रिश्वती राशि नही है। जिस पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान श्री अशोक कुमार ईणखिया से श्री देवीलाल की जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी भी प्रकार की रिश्वती राशि प्राप्त नही हुई। तत्पश्चात श्री देवीलाल के पहनी हुई नीले रंग की जिन्स पेन्ट का धोवन लिया जाना होने से उसी की कुर्सी पर रखे तोलिये को लिपटाया जाकर जिन्स पेट को उतरवाया गया तथा उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। इस रंगहीन घोल में उतरवाई गयी नीले रंग की जिन्स पेन्ट की नीचली दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इस हलके गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस नीले रंग की जिन्स पेन्ट को भी वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की एक थैली में सिलाई कर मार्क "पी" दिया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान के श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक से उसके दोनों हाथो तथा पेन्ट के जेब

का रंग गुलाबी हो जाने तथा रिश्वती राशि के बारे में पुछा तो निरूत्तर रहा। तत्पश्चात वहॉ उपस्थित दुसरे व्यक्ति से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम घबराते हुए श्री चेलुराम पुत्र श्री पदमाराम उम्र 42 साल पेशा खेती निवासी मेघवालो का मोहल्ला नाचना पुलिस थाना नाचना जिला जैसलमेर होना बताया तदोपरान्त श्री चेलुराम से गहनता पुर्वक पुछताछ करने पर उसने बताया कि आप लोगो को आते हुए देखकर श्री देवीलाल बाबूजी अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की नीचली दाहिनी जेब से 4000 रूपये मुझे देकर बाहर निकल जाने का ईशारा किया था मगर आप लोगो के अचानक आ जाने के कारण मैंने उक्त 4000 रूपये पास ही स्थित लोहे की रैंक मे स्थित फाईलो के नीचे छुपा दिये थे तत्पश्चात श्री चेलुराम के हाथ की कार्यवाही आवश्यक होने से बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री चेलुराम के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, इस हल्के गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री चेलूराम के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिर्वतन नही हुआ। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। श्री चेलुराम निशादेही से लोहे की रैंक मे स्थित फाईलो के नीचे छुपाई गई रिश्वती राशि के स्थान की तलाशी उपस्थित गवाह श्री अरूण भाटिया से लिवाई गई तो 500–500 रूपये के कुल 08 नोट कुल 4000 रूपये मिले, उक्त राशि के नोटो को गवाह अरूण कुमार भाटिया के पास ही रहने दिये जाकर दुसरे गवाह श्री अशोक कुमार ईणखिया को पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी की एक प्रति देकर उसमें अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान बोल–बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 4,000 रू0 के नोटों के नम्बर हुबहू पाये गये। जो निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नोट का विवरण	नोट का नंबर
1.	500/– रूपये का नोट नंबर	9 एन ए 846418
2.	500/– रूपये का नोट नंबर	6 एल एन 913125
3.	500/– रूपये का नोट नंबर	9 ए एफ 445625
4.	500/– रूपये का नोट नंबर	2 एफ यु 061928
5.	500/– रूपये का नोट नंबर	8 बी ए 282988
6.	500/– रूपये का नोट नंबर	0 एफ सी 232395
7.	500/– रूपये का नोट नंबर	1 ई यु 399916
8.	500/– रूपये का नोट नंबर	0 क्यु एन 818905

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 4,000 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। श्री चेलुराम द्वारा छुपाई गई "लोहे की रैंक मे स्थित फाईलो के नीचे" के स्थान जहॉ से रिश्वती राशि के नोट बरामद हुए है का धोवन लिये जाने हेतु उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल में सफेद कपड़े के टुकड़े को भिगो–भिगो कर "लोहे की रैंक मे

स्थित फाईलो के नीचे" के स्थान को रगड़कर 3–4 बार घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क टी –1 व टी –2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। धोवन में काम में लिये गये सफेद कपड़े के टुकड़े को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की थैली में सिलाई कर मार्क "सी" दिया गया, प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया, तत्पश्चात श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री शाह मोहम्मद के पैण्डिंग कार्य के संबंध मे पूछने पर श्री देवीलाल ने अपने पास परिवादी का कोई पैन्डिग कार्य नही होना बताया, इस पर श्री देवीलाल से पुनः तस्सली देकर पुछा तो उसने परिवादी के पैन्डिग कार्य से सम्बन्धित मिसल संख्या 31/2023 एव मिसल संख्या 29/23 की पत्रावली पेश की जिन्हे संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गई। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई ताबाद उपायुक्त उपनिवेशन नाचना में लोगों का जमघट हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना नाचना में किये जाने का निर्णय लेकर मय आरोपीगण श्री देवीलाल एवं सहआरोपी श्री चेलुराम मय मालखाना आईटम मय पत्रावली मय सरकारी सामग्री लेपटॉप ,प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, इत्यादि मय हमराही जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना से रवाना होकर पुलिस थाना नाचना पहुँचकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ताबाद सहआरोपी श्री चेलुराम के रहवासी मकान तथा आरोपी श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक की विधिवत खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई ताबाद उपनिवेशन तहसील कार्यालय नाचना संख्या 01 में स्थित उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के कक्ष का बरामदा रिश्वती राशि के स्थल का नक्शा मौका रूबरू मौतबिरान विधिवत फर्द अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तथा रहवासी मकान आरोपी देवीलाल एवं नक्शा मौका की कार्यवाही कर पुलिस थाना नाचना पहुंचा। तत्पश्चात विभागीय डिजीटल रिकॉर्डर में परिवादी श्री शाह मोहम्मद व आरोपी देवीलाल कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.08.2023 एवं परिवादी श्री शाह मोहम्मद व आरोपी देवीलाल कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन देन वार्ता दिनांक 22.08.2023 जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्ताओं को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्टे रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्तालाप अलग से तैयार कर विस्तृत फर्द अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की एवं उक्त वार्तालाप की विभागीय लेपटॉप की मदद से तीन तीन सिडियां तैयार कर, उक्त सीडियो पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त सिडियो में से एक एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैली मे डालकर थैली की सिलाई कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितानों के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैलियों को सील्ड मोहर किया गया व दो–दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। तदोपरान्त आरोपी श्री देवीलाल पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 42 साल निवासी तिलक नगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर सहआरोपी श्री चेलुराम पुत्र श्री पदमाराम उम्र 42 साल पेशा खेती निवासी मेघवालो का मोहल्ला नाचना पुलिस थाना नाचना जिला जैसलमेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी. भादसं. से अवगत करवाकर गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समस्त ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री शाह मोहम्मद को रूखसत किया गया। गिरफतारसुदा आरोपीगण को सुरक्षा की दुष्टि से पुलिस थाना नाचना की हवालात में रखा गया।

दिनांक 23.08.2023 आरोपीगण श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक एवं सहआरोपी श्री चेलुराम को पुलिस थाना नाचना से प्राप्त कर स्वास्थ्य परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

नाचना करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही के जब्तशुदा मालखाना आईटम को श्री दीनाराम हैड कानि 125 मय हमराह को ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर हेतु रवाना किया गया।

इस प्रकार सम्पुर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण (1) श्री देवीलाल पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 42 साल निवासी तिलक नगर पुलिस थाना जयनारायण व्यास जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक उपायुक्त उपनिवेशन नाचना जिला जैसलमेर (2) श्री चेलुराम पुत्र श्री पदमाराम उम्र 42 साल पेशा खेती निवासी मेघवालो का मोहल्ला नाचना पुलिस थाना नाचना जिला जैसलमेर (सह आरोपी) द्वारा परिवादी श्री शाह मोहम्मद के पुत्रो एवं पुत्री के नाम उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा आवंटित स्माल पेंच, मीडियम पेंच भूमि को खारिज नही करने तथा दावा नोटिस की नकल प्रति देने की एवज में कार्यालय उपायुक्त उपनिवेशन नाचना का कनिष्ठ सहायक श्री देवीलाल द्वारा परिवादी से वक्त सत्यापन 25000 रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 8000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होना तथा दौराने सत्यापन 4000 रूपये भी परिवादी से प्राप्त कर लेना एवं दिनांक 22.08.2023 को आरोपी श्री देवीलाल कनिष्ठ सहायक एवं सह आरोपी चैलुराम द्वारा 4000 रूपये की रिश्वती राशि प्राप्त करना एवं उपरोक्त दोनों आरोपीगणों द्वारा रिश्वती राशि 4000 रूपये को उपनिवेशन तहसील कार्यालय नाचना संख्या 01 में स्थित उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के कक्ष में स्थित लोहे की रैंक मे स्थित फाईलो के नीचे छुपाना इत्यादि का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.सं. का कारित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

भवदीय

(संग्रामसिंह भाटी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संग्राम सिंह भाटी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर द्वारा प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री देवीलाल पुत्र श्री भंवरलाल, हाल कनिष्ठ सहायक, उपायुक्त उपनिवेशन नाचना, जिला जैसलमेर एवं 2. श्री चेलुराम पुत्र श्री पदमाराम, निवासी मेघवालो का मोहल्ला नाचना, पुलिस थाना नाचना, जिला जैसलमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 228/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2633-36 दिनांक 23.08.2023
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

23.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।